सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज
S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE
Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Approved by MHRD, Govt. of India

महाविद्यालय अभिभावक– शिक्षक समिति नियमावली 2024

यह नियमावली सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज साहिया, देहरादून द्वारा वर्ष 2024 में डॉ0 शशिकला (सहायक प्राध्यापक हिन्दी विभाग) की अध्यक्षता में तैयार की गई है। दिनांक 28 नवम्बर, 2024 को माननीय चेयरमैन महोदय के आदेशानुसार नियमावली में आंशिक संशोधन करने हेतु डॉ0 रवि कुमार (सह प्राध्यापक भूगोल विभाग) एवं श्री रिंकूदास भारती (सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग) को नामित किया गया, के क्रम में दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को समिति अध्यक्ष एवं नामित सदस्यों की उपस्थिति में महाविद्यालय अभिभावक शिक्षक समिति की नियमावली में निम्नलिखित बिंदुओं पर संशोधन प्रस्तावित किये गये है–

1. समिति का नाम

(क) इस नियमावली का नाम "महाविद्यालय अभिभावक–शिक्षक समिति नियमावली 2024" होगा।
(ख) इसका संक्षिप्त नाम "पीटीए नियमावली 2024" होगा।

2. प्रस्तावना

महाविद्यालय के शैक्षिक वातावरण में अभिभावकों और शिक्षकों की भागीदारी छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नियमावली एक मंच प्रदान करती है, जहां अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

3. समिति के उद्देश्य

1. छात्र–छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद, सहयोग और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना।
2. छात्रों के शैक्षणिक, सामाजिक और मानसिक प्रगति में सहायता करना।
3. महाविद्यालय प्रशासन और शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. छात्रों की समस्याओं का समाधान और उनके शैक्षणिक हितों की रक्षा करना।
5. महाविद्यालय में स्वस्थ और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना।

4. समिति का महत्व

1. समिति शिक्षा में पारदर्शिता और सहभागिता को प्रोत्साहित करती है।
2. छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करती है।
3. छात्रों के सर्वांगीण विकास में समाज और महाविद्यालय के वातावरण को एकीकृत करती है।

5. समिति का स्वरूप और संरचना

(क) समिति के पदाधिकारी

1. अध्यक्ष– महाविद्यालय के संस्थागत छात्र–छात्रओं के अभिभावक (माता/पिता) कार्यकारिणी के अध्यक्ष होंगे। इनका कार्य महाविद्यालय अभिभावक शिक्षक समिति की बैठक की अध्यक्षता करना और महाविद्यालय हित में प्रयास करना।
2. उपाध्यक्ष– महाविद्यालय के संस्थागत छात्र–छात्रओं के अभिभावक (माता/पिता) कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष होंगे। इनका कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनकी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।
3. कोषाध्यक्ष– महाविद्यालय के संस्थागत छात्र–छात्रओं के अभिभावक (माता/पिता) कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष होंगे। इनका कार्य छात्र हितों के लिए निधि का प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा।
4. सचिव– महाविद्याालय अभिभावक शिक्षक समिति का प्रभारी शिक्षक अभिभावक शिक्षक समिति कार्यकारिणी का सचिव होंगा। जिनका कार्य समिति की बैठकें आयोजित करना और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना होगा।
5. सह–सचिव– महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी या प्राचार्य द्वारा नामित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी अभिभावक शिक्षक समिति कार्यकारिणी के सह–सचिव होंगे। इनका कार्य सचिव के कार्यों में सहयोग करना होगा।
6. सदस्य– महाविद्यालय के अधिकतम 3 अभिभावकों का चयन आम सभा में सदस्य के लिए किया जाएगा। महाविद्यालय के लेखाकार/सहायक लेखाकार अभिभावक शिक्षक समिति के नामित सदस्य होंगे।

(ख) समिति के चयन और पदावधि

1. समिति के पदाधिकारियों का चुनाव शैक्षणिक सत्र के पहले दो महीनों के भीतर होगा।
2. सभी सदस्यों की पदावधि एक शैक्षणिक सत्र तक मान्य होगी।
3. प्रत्येक नए सत्र में समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

6. समिति के कार्य और दायित्व

1. महाविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान देना।
2. छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान सुनिश्चित करना।
3. महाविद्यालय और अभिभावकों के बीच नियमित संवाद स्थापित करना।
4. महाविद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता की निगरानी करना।

7. कोष और वित्तीय प्रबंधन

1. समिति द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग केवल छात्रों के हित में किया जाएगा।
2. कोषाध्यक्ष, कोष की पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और इसका वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेंगे।
3. कोष का व्यय महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन से होगा।

8. संशोधन प्रक्रिया

महाविद्यालय प्रबंधन समिति की अनुमति से, समिति के किसी भी नियम में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का निर्णय आम सभा में लिया जाएगा।

9. अन्य नियम और प्रावधान

1. समिति की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2. बैठक का एजेंडा पूर्वनिर्धारित होगा और बैठक का विवरण अभिलेखित किया जाएगा।
3. समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णय छात्रों और महाविद्यालय के सर्वोत्तम हित में होंगे।

10. निष्कर्ष

यह नियमावली अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देकर छात्रों के शैक्षणिक, मानसिक और सामाजिक विकास में योगदान देने हेतु बनाई गई है।

अभिभावक शिक्षक समिति के उपस्थित पदाधिकारी एवं सदस्य

क्र. सं.	नाम	पदभार	हस्ताक्षर
1	श्री महेन्द्र सिंह तोमर	अध्यक्ष	महेन्द्र सिंह
2	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	उपाध्यक्ष	राजेन्द्र सिंह बिष्ट
3	श्री प्रेम सिंह राठौर	कोषाध्यक्ष	P. Rather
4	श्री गम्भीर सिंह	सह–सचिव	गम्भीर 22/01/25
5	श्री कमल सिंह नेगी	सदस्य	[illegible]
6	श्री बारू सिंह खन्ना	सदस्य	बारू खन्ना
7	श्री आनन्द सिंह तोमर	सदस्य	आनंद सिंह
8	श्री राजेन्द्र सिंह	सदस्य	राजेन्द्र सिंह
9	डॉ0 रवि कुमार	नामित सदस्य	Ravi 22/01/2025
10	श्री रिंकूदास भारती	नामित सदस्य	[illegible] 22/01/25
11	सुश्री पूजा पाण्डेय	सचिव	Pooja Pandey 22/01/25

उपरोक्त बिन्दुओं को संशोधन समिति द्वारा महाविद्यालय अभिभावक शिक्षक समिति नियमावली 2024 में सम्मिलित तथा संशोधन करने हेतु प्राचार्य महोदय को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित–

Poojapandey
22/01/2025
सचिव
सुश्री पूजा पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक चित्रकला विभाग

उपरोक्त सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए संशोधन नियमावली को सत्र 2025–26 से लागू किये जाने की अनुमति हेतु माननीय चेयरमैन महोदय को सादर प्रेषित।

Renugupta
हस्ताक्षर
प्राचार्य

महाविद्यालय अभिभावक शिक्षक समिति संशोधित नियमावली को लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11.03.2025
हस्ताक्षर
चेयरमैन